न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 31/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/56

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन।		हेमराज पुत्र छोटूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती अम्बेडकर चौक मारोठ तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा अन्तर्गत भु–राजस्व अधिनियम के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से तहसीलदार नावां
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मनफूल खां

<u>–:आदेशः–</u> दिनांकः **21.05.2024**

प्रार्थी की ओर से निवेदन है किः–

1. मौजा ग्राम मारोठ के साबिक खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि अप्रार्थी हेमराज पुत्र छोटूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को कृषिप्रयोजनार्थ भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक/राजस्व/02/35 से 37 दिनांक 26.06.2002 के द्वारा आवंटन की जाकर अप्रार्थी हेमराज पुत्र छोटूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को राजस्व रिकार्ड में गैर–खातेदार दर्ज किया गया था। खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.32 हैक्टर में हेमराज पुत्र छोटूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को ना.सं. 415 दिनांक 05.01.2003 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया था। हेमराज पुत्र छोटूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ आज दिन तक गैर खातेदार चला आ रहा है।
2. अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 26.06.2002 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम [illegible] के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व [illegible] शेष 50 प्रतिशत भू–भाग को जोतना आवश्यक था और अप्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्त की पालना नहीं की है, जो खसरा गिरदावरी संवत 2062 से 2077 तक की नकलों से सुस्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:43 IST
Reason: SelfAttested

21/5/24
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

3. अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर भूमि पहाडी के तलहटी मे है। जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
4. अप्रार्थी का विवरण जो इस प्रार्थना–पत्र में दिया गया है वह सभी जीवीत एवं व्यस्क है एवं पता जो अंकित किया गया है उसी पर अप्रार्थी निवास कर रहे है। उक्त सम्बन्ध में पटवारी हल्का का प्रमाण पत्र सलंग्न है
5. अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं की हैं।

अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण, आवंटन आदेश सम्पूर्ण गिरदावरी की प्रमाणित नकले व उपर्युक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये आवंटन दिनांक 26.06.2002 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री मनफुल खां ने वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु कई अवसर देने के बाद भी वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया। अतः दिनांक 11.03.2024 को जवाब बन्द किया गया।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर आराजी नं0 1471 रकबा 0.32 हैक्टर अप्रार्थी हेमराज पुत्र छोटुराम निवासी मारोठ को राज0 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत कृषि कार्य हेतु भूमि आंवटित की गई थी।

जमाबंदी ग्राम मारोठ सम्वत् 2074–77 अनुसार खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.32 हैक्टयर किस्म जमीन बा.2 अप्रार्थी हेमराज पुत्र छोटुराम सा0 देह के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मारोठ के खसरा सं0 1471 रकबा 0.32 हैक्टयर किस्म बारानी–2 गैर खातेदार हेमराज पुत्र छोटुराम आज दिनांक तक काबिज नहीं है। मौके पर यह भूमि पहाडी के तलहटी में है। गैर खातेदार ने आज तक मौके पर कब्जा नहीं किया है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सं. 2062–77 एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार आवंटी / अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तोनुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं किया गया है।

अप्रार्थी का आराजी भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार / नकल गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे भी उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट लैण्ड) 1970 के नियम 04 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। उक्त नियमों

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

के नियम 14(3) के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटी को भूमि पर काश्त करनी होगी। उक्त नियमों के नियम 14(8)A के तहत भी यदि भूमि को निर्धारित अवधि में काश्त नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार में पुनः पुर्नगठित करने के प्रावधान है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात नियम 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकने का तर्क दिया है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी का स्टेट्स गैर खातेदारी अधिकार का ही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी हेमराज पुत्र छोटुराम को किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा मारोठ के खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.32 हैक्टयर पर आवंटी/अप्रार्थी की दर्ज गैर खातेदारी/आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नावां को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 21.05.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

21/5/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:43 IST
Reason: SelfAttested